न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–210/2022
(चन्द्रदीप थाना कांड संख्या 44/21 से उत्पन्न)
राज्य सरकार द्वारा जय कुमार.....सूचक।
बनाम
सुजीत कुमार..... आवेदक/अभियुक्त।

17.06.2026 वाद के कुल तीन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सुजीत कुमार की हाजरी है तथा एक अन्य अभियुक्त अनुपस्थित है। बचाव पक्ष उचित पैरवी करें।

अभियोजन की ओर से दिनांक 25.04.2026 को दाखिल आवेदन में कथन किया गया है कि इस वाद के अधिकांश आरोप–पत्रित साक्षियों का परीक्षण किया जा चुका है। आरोप–पत्रित साक्षियों में से तीन महत्त्वपूर्ण साक्षी तथा बस्तु प्रदर्श साक्षी जिसमें साक्षी सहदेव प्रसाद पिता स्व0 जगदीश प्रसाद साकिन धरमपुर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई तथा दशरथ मंडल पिता स्व0 रामेश्वर मंडल साकिन दशरथपुर, थाना सिकंदरा जिला जमुई एवं पंकज कुमार पिता स्व0 आनंदी मंडल साकिन धरमपुर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई है। ये तीनों गवाह भी बेबी कुमारी की हत्या के तुरंत बाद जय कुमार के साथ घटनास्थल पर गये थे जो बेबी कुमारी (मृतिका) के पिता, इस घटना का सूचक है। ये तीनों गवाह बेबी कुमारी के हत्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और सागमा गाँव के ग्रामीणों से भी मिले और बेबी कुमारी के क्रूर हत्या के बारे में गवाहों और तथ्यों से अवगत हुये। इन तीनों गवाहों में से सहदेव प्रसाद और दशरथ मंडल ने सूचक जय कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर किये। पंकज कुमार मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का साक्षी है और उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अंगुठा का निशान बनाया है। सूचक ने अपने साक्ष्य में इन तीनों साक्षियों का नाम लिया है। रिंकु देवी एक अन्य गवाह ने भी अपने साक्ष्य में बताया कि सहदेव प्रसाद, दशरथ मंडल उनके साथ घटनास्थल पर गये थे और उन्होंने शव को देखा था, लेकिन सागमा गाँव के ग्रामीणों को इस तथ्य और परिस्थितियों के बारे में पता चला कि बेबी कुमारी की हत्या आरोपियों द्वारा किस प्रकार की गई थी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के साथ मिली भगत करके इन तीन महत्वपूर्ण एवं प्रासांगिक गवाहों का धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत ब्यान नहीं लिया। इन तीनों गवाह सहदेव प्रसाद पिता स्व0 जगदीश प्रसाद साकिन धरमपुर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई तथा दशरथ मंडल पिता स्व0 रामेश्वर मंडल साकिन दशरथपुर, थाना सिकंदरा जिला जमुई एवं पंकज कुमार पिता स्व0 आनंदी मंडल साकिन धरमपुर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई का साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अतः उन साक्षियों का साक्ष्य कराने का अनुरोध किया है।

बचाव पक्ष के द्वारा दिनांक 27.05.2026 को प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया है और कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वाद में कुल 13 आरोप–पत्रित साक्षी का नाम अंकित है, जिसमें अधिकांश साक्षियों का साक्ष्य अभियोजन की ओर से कराया जा चुका है। अभियोजन की ओर से दिनांक 25.04.2026 के पूर्व ऐसा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है कि आरोप पत्रित के अलावे अन्य साक्षियों का साक्ष्य कराना आवश्यक

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–210/2022
(चन्द्रदीप थाना कांड संख्या 44/21 से उत्पन्न)
राज्य सरकार द्वारा जय कुमार.....सूचक।
बनाम
सुजीत कुमार..... आवेदक/अभियुक्त।

–लगातार–
17.06.2026

है। अभियोजन के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार उक्त साक्षी का नाम आरोप पत्र में अंकित नहीं है और न ही उक्त साक्षियों का अनुसंधानक द्वारा अनुसंधान के क्रम में धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज दर्ज किया गया है। अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन के पैरा 2 में साक्ष्य हेतु तीन साक्षियों का नाम सहदेव प्रसाद, दशरथ मंडल एवं पंकज कुमार का नाम बताया गया है जो घटनास्थल पर गया है, जो सागमा गाँव के निवासी है जो कि झूठा एवं खरीदा गया साक्ष्य है। अभियोजन के केस में धारा 161 द0प्र0सं0 में साक्ष्य हेतु मौका था, जब आरोप पत्र विद्वान न्यायालय में विचारण हेतु समर्पित किया गया। अतः अभियोजन का आवेदन दिनांक 25.04.2026 न्यायहित में खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आई0ओ0 को छोड़ अन्य आरोप पत्रित साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है तथा आरोप पत्र के जिन साक्षियों का साक्ष्य नहीं हुआ है। उन साक्षियों के सम्बन्ध में होना अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि ये साक्षीगण अभियुक्तगण से मिल गये है, इसलिए अभियोजन उनका साक्ष्य नहीं कराना चाहता है। अभियोजन द्वारा जिन गैर आरोप पत्रित साक्षियों का साक्ष्य कराने के संबंध में आवेदन दिया गया है, उसमें से दो साक्षियों सहदेव प्रसाद तथा दशरथ मंडल का हस्ताक्षर फर्द बयान पर है जिससे स्पष्ट होता है कि सूचक के साथ ये लोग घटनास्थल पर गये थे तथा तीसरे साक्षी पंकज कुमार का हस्ताक्षर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर है, अभियोजन द्वारा कथित तीनों साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सुसंगत साक्ष्य हो सकता है, अन्य अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में भी इन साक्षियों का उल्लेख किया है। चूंकि साक्षीगण इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों से भलीभॉती परिचित हैं इसलिए उनका साक्ष्य न्यायालय में होना चाहिए, जिससे इस वाद के तथ्यों को प्रकाशित होने में सहायता मिलेगी। अतः अभियोजन का आवेदन दिनांक 25.04.2026 को स्वीकृत किया जाता है। अभियोजन अपने आवेदन में वर्णित तीनों साक्षियों को क्रमवार तरीके से न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक–27.06.2026 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई।